



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



परिपत्र

फाइल संख्या- पीएफआरडीए/2026/31/MWnR/01

दिनांक: 15 मई 2026

सेवा में,

एनपीएस के तहत सभी हितधारक,

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत रिटायरमेंट इनकम स्कीम्स (आरआईएस) और आहरण विकल्पों की शुरुआत

हमारे पिछले परिपत्रों पीएफआरडीए/2016/8/PFM/03 दिनांक 04 नवंबर 2016, पीएफआरडीए/2023/30/SUP-CRA/10 दिनांक 27 अक्टूबर 2023, और पीएफआरडीए/2024/17/PDES/02 दिनांक 01 अक्टूबर 2024, में स्थापित रूपरेखा के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा रिटायरमेंट इनकम स्कीम्स और आहरण विकल्पों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत विकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2025 के अनुरूप, इस पहल का उद्देश्य अभिदाताओं को उनके संचय-निकासी चरण के दौरान अधिक लचीले आवधिक भुगतान विकल्प प्रदान करना है, जबकि रिटायरमेंट इनकम स्कीम्स के माध्यम से कॉर्पस में वृद्धि के समर्थन प्रदान करने को जारी रखना है।

3. आरआईएस के अंतर्गत, अभिदाताओं को किसी भी आहरण विकल्प के माध्यम से अपने नामित पेंशन कॉर्पस की चरणबद्ध निकासी चुनने का विकल्प प्रदान किया जाता है। फलस्वरूप, इन निकासियों का वार्षिकी की खरीद के लिए निर्धारित अनिवार्य 20% या 40% कॉर्पस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आजीवन पेंशन के लिए न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता बरकरार रहे। chaturpost.com

4. ये आहरण विकल्प एनपीएस के तहत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए उपलब्ध होंगे। अभिदाताओं को एनपीएस से निकासी के समय उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, 85 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर आवधिक भुगतान प्राप्त करने की अनुमति होगी।

5. ये दिशानिर्देश आवश्यक कार्यप्रणालियों के लागू होने के बाद, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावी होंगे।

यह परिपत्र और संबंधित दिशानिर्देश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीया,

डॉ. अल्पना वत्स,

(महाप्रबंधक)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत रिटायरमेंट इनकम स्कीम्स (आरआईएस) और आहरण विकल्पों के लिए दिशानिर्देश

1. उद्देश्य

इसका प्राथमिक उद्देश्य एनपीएस के तहत संवय-विकासी (भुगतान) चरण के लिए विशिष्ट लाइफ साइकिल फंड के माध्यम से आहरण विकल्पों द्वारा अभिदाताओं के लिए आवधिक भुगतान को अनुकूलित करना है। इसका लक्ष्य निरंतर कॉर्पस वृद्धि के माध्यम से कैशपत्तो की निश्चितता और कॉर्पस संवर्धन करना है, जिससे आहरण अवधि समाप्त होने से पहले कॉर्पस के जल्दी खत्म होने के जोखिम को कम किया जा सके।

2. रिटायरमेंट इनकम स्कीम्स (आरआईएस)

अभिदाताओं के लिए उनके आवधिक भुगतान प्राप्त करने हेतु उपलब्ध नई लाइफ साइकिल योजना को 'रिटायरमेंट इनकम स्कीम्स (आरआईएस)' कहा जाएगा।

आरआईएस के तहत निम्नलिखित संस्करण उपलब्ध है :

- आरआईएस Steady (संतुलित)- यह एक निरंतर पट्टे हुए, वार्षिक 'स्लाइड पाथ' का उपयोग करेगा जो इक्विटी एक्सपोजर को 60 वर्ष की आयु में 35% से घटाकर 75 वर्ष की आयु में 10% के स्तर तक ले जाएगा, जिसे उसके बाद 85 वर्ष की आयु तक स्थिर रखा जाएगा।

टेबल I – आरआईएस Steady (संतुलित) के तहत आयु-वर्ग चार एसेट क्लास वितरण

| आयु-वर्ग | एसेट क्लास E (इक्विटी) | एसेट क्लास C (कॉर्पोरेट बॉन्ड) | एसेट क्लास G (सरकारी बॉन्ड) |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 60 वर्ष की आयु तक | 35% | 10% | 55% |
| 61 वर्ष | 33% | 11% | 56% |
| 62 वर्ष | 31% | 12% | 57% |
| 63 वर्ष | 29% | 13% | 58% |
| 64 वर्ष | 27% | 14% | 59% |
| 65 वर्ष | 25% | 15% | 60% |
| 66 वर्ष | 23% | 16% | 61% |
| 67 वर्ष | 21% | 17% | 62% |
| 68 वर्ष | 19% | 18% | 63% |
| 69 वर्ष | 17% | 19% | 64% |
| 70 वर्ष | 15% | 20% | 65% |
| 71 वर्ष | 14% | 20% | 66% |
| 72 वर्ष | 13% | 20% | 67% |
| 73 वर्ष | 12% | 20% | 68% |
| 74 वर्ष | 11% | 20% | 69% |
| 75 वर्ष | 10% | 20% | 70% |
| 76 वर्ष | 10% | 19% | 71% |
| 77 वर्ष | 10% | 18% | 72% |
| 78 वर्ष | 10% | 17% | 73% |
| 79 वर्ष | 10% | 16% | 74% |
| 80 वर्ष तथा उससे | 10% | 15% | 75% |

3. आहरण विकल्प

अभिदाता अपनी संचित पेंशन राशि के एकमुस्त हिस्से से निम्नलिखित आहरण विकल्पों के माध्यम से आवधिक भुगतान प्राप्त करेंगे। आहरण विकल्प का चुनाव अभिदाता द्वारा पेंशन खाता बंद करने के समय किया जाएगा, जिसके बाद नया अंशदान बंद हो जाएगा। अभिदाता आहरण के लिए निम्नलिखित में से किसी भी एक विकल्प को चुन सकते हैं :

- व्यवस्थित पेआउट रेट (SPR) (डिफॉल्ट)
- व्यवस्थित यूनिट रिडेम्पशन (SUR) - समान यूनिट्स

आहरण प्रविधियों के लिए एक गणना कार्यप्रणाली अनुलग्नक A और B में दर्शायी गयी है।

4. विशेष दिशानिर्देश :

| मानक | विवरण |
|---------------------------------------|--|
| पात्रता | i. एनपीएस के तहत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे अभिदाता, जो अपने नामित पेंशन कॉर्पस से अधिकतम 85 वर्ष की आयु तक व्यवस्थित भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। |
| आहरण के विकल्प | i. आहरण विकल्प चुनने वाले अभिदाताओं के पास अपने मौजूदा पेंशन फंड के साथ बने रहने का विकल्प भी होगा। ii. अभिदाता के पास हर दो वित्तीय वर्ष में एक बार अपना पेंशन फंड बदलने का विकल्प होगा। |
| मृत्यु की स्थिति में कॉर्पस का भुगतान | यदि आहरण सुविधा का उपयोग करने वाले अभिदाता की भुगतान चरण के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके खाते में शेष राशि का भुगतान पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार किया जाएगा। |
| उन्मोचन विधि | प्रत्येक एसेट क्लास से यूनिट्स को संबंधित एसेट क्लास में संपत्ति के अनुपात में उन्मोचित किया जाएगा। chaturpost.com |
| भुगतान आवृत्ति | i. अभिदाता मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर आवधिक भुगतान प्राप्त करना चुन सकते हैं। ii. आहरण अनुरोध के सफल प्रसंस्करण के बाद, आवधिक भुगतान अगले महीने से शुरू किया जाएगा। iii. जो अभिदाता व्यवस्थित पेआउट रेट (एसपीआर) चुनते हैं, उनके लिए पेआउट रेट और उससे मिलने वाली पेआउट राशि हर साल निश्चित की जाएगी। यह प्रक्रिया अभिदाता के जन्मदिवस पर होगी, जो ड्रॉडाउन कॉर्पस की मौजूदा मार्केट वैल्यू पर आधारित होगी। iv. आयु-वर्ग के हिसाब से एसेट रीबैलेंसिंग भी अभिदाता के जन्मदिवस पर ही होगी, जो आहरण कॉर्पस की मौजूदा मार्केट वैल्यू पर आधारित होगी। |
| शुल्क | ऐसी योजनाओं पर लागू मौजूदा टांचे के अनुसार शुल्क अभिदाता से वसूल किया जाएगा। |

| | |
|------------|---|
| शेष कॉर्पस | <p>व्यवस्थित इनकम आहरण के एसपीआर विकल्प के तहत, आहरण अवधि के अंत में, भुगतान के लिए प्रयोग की गयी राशि में से कुछ बची रह सकती है। अभिदाता के पास ये विकल्प होंगे :</p> <p>a) बचे हुए पूरे फंड को एकमुश्त निकाल लेना।</p> <p>b) बचे हुए फंड को एन्युइटी वाले हिस्से (अगर डेफ़र्ड हो) के साथ मिलाकर, पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2025 (यथा संशोधित) के अनुसार वार्षिकी करीवना।</p> |
|------------|---|

5. अभिदाता प्रकटन

सूचित निर्णय लेने के लिए और बाजार से जुड़ी संचय-निकासी जोखिमों को कम करने के लिए, सभी पेंशन फंड और/या केंद्रीय अभिलेखागालन एजेंसियां या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्देशित कोई भी अन्य मध्यवर्ती, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विस्तृत प्रकटीकरण प्रदान करेंगे :

- a) आवधिक भुगतान के संबंध में कोई गारंटी या आश्वासन नहीं होने का प्रावधान।
- b) भुगतान बाजार जोखिम के अधीन होंगे। chaturpost.com
- c) वेबसाइट पर कैलकुलेटर या सिम्युलेटर के माध्यम से लाभों के साथ-साथ शेष कॉर्पस के अनुमान का प्रदर्शन।
- d) अभिदाता को एक रिटायरमेंट आय विवरण (जो टिक्स I या टिक्स II विवरण से अलग होगा) प्राप्त होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - i. रिसेट नोटिफिकेशन; एसपीआर अभिदाताओं के लिए, प्रत्येक जन्मदिवस पर एक अधिसूचना, जिसमें प्रचलित बाजार मूल्य और नई आयु-आधारित भुगतान दर के आधार पर व्यवस्थित भुगतान को तय करने का विवरण होगा।
 - ii. एसेट पैकैलेंसिंग सारांश: घटे हुए (RIF सन्तुलित) 'प्लाइड पाथ' के अनुसार एसेट क्लास (E, C, G) में बदलाव पर एक रिपोर्ट।

अनुलग्नक (Annexure) – A

Methodology for Determining Systematic Payout Rates (SPR)

The various drawdown options allow a subscriber to receive a designated portion of their accumulated pension wealth^(*), at exit, through periodic payouts. This Annexure outlines the calculation for the age-wise maximum permissible Systematic Payouts (SP) under the SPR option of the drawdown facility.

A. Calculation of Systematic Payout Rate (SPR) and Systematic Payout

The Systematic Payouts (SP) shall be a factor of the Systematic Payout Rate applicable at a certain "Current Age" under the SPR option. The Systematic Payout Rate shall be dependent on the Drawdown End Age and the Current Age of the subscriber.

$$SPR_{CA} = \frac{1}{(\text{Drawdown End Age} - \text{Current Age})} \%$$

Where,

| | |
|------------------|--|
| SPR_{CA} | Systematic Payout Rate applicable at Current Age |
| Current Age | Age of the subscriber rounded down to the nearest integer |
| Drawdown End Age | Age up to which the subscriber wishes to receive period payouts from their accumulated pension wealth not utilised for the purchase of annuity |

Thus, the Systematic Payouts for a given year shall be calculated using the Systematic Payout Rate applicable at Current Age on the Market Value of the Drawdown corpus on every date of birth of the subscriber. The formula for the same is as follows:

$$SP_n = \frac{SPR_{CA}}{n} \times DrC_{CA}$$

chaturpost.com

Where,

| | |
|------------|--|
| n | the periodicity of receiving payouts eg. Monthly (12), Quarterly (3), Annual (1), etc. |
| SP_n | Systematic Payout received at each periodicity |
| DrC_{CA} | Market Value of the Drawdown Corpus on the date of birth of the subscriber or next business day if birthday is a non-working day |

Reset of Systematic Payouts

- The Systematic Payouts (SP) will be reset on every birthday of the subscriber with the reset of the Systematic Payout Rate.
- The subscriber shall receive constant Systematic Payouts calculated using the above methodology from the period from his current date of birth up until his next date of birth.

B. Illustrative Table for Systematic Payout Rates as per Current Age-

For a subscriber exiting the system at age 60 and selecting to drawdown through SPR, up until the Drawdown End Age of 85 years, the age-wise Systematic Payout Rate shall be as per table below:

| Age | Payout Rate |
|-----|-------------|
| 60 | 4.00% |
| 61 | 4.17% |
| 62 | 4.35% |
| 63 | 4.55% |
| 64 | 4.76% |
| 65 | 5.00% |
| 66 | 5.26% |
| 67 | 5.56% |
| 68 | 5.88% |
| 69 | 6.25% |
| 70 | 6.67% |
| 71 | 7.14% |
| 72 | 7.69% |
| 73 | 8.33% |
| 74 | 9.09% |
| 75 | 10.00% |
| 76 | 11.11% |
| 77 | 12.50% |
| 78 | 14.29% |
| 79 | 16.67% |
| 80 | 20.00% |
| 81 | 25.00% |
| 82 | 33.33% |
| 83 | 50.00% |
| 84 | 100.00% |

अनुलम्बक (Annexure)– B

Methodologies for Systematic Unit Redemption (SUR)

A. Illustrative Baseline

The following parameters serve as the basis for the calculations and examples provided herein:

| Parameter | Value |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Corpus | Rs. 80 lakhs |
| NAV at the time of opting drawdown | 10.0000 |
| Units at the time of opting drawdown | 8,00,000.0000 |
| Age of exit | 60 years |
| Drawdown period | 25 years |
| Payout frequency | Monthly i.e. 12 per year. |

B. Unit Redemption Methodologies

A subscriber may elect to redeem their units using the following systematic approach:

- a. **SUR Equal Units-** Under this method, the total unit balance is liquidated in equal instalments over the selected drawdown period. The total number of units at the start of drawdown are divided into equal number of units to be redeemed at each payout frequency using the following formula-

$$\text{Number of units per period} = \frac{\text{Total no. of units at start}}{\text{Drawdown Period} \times \text{Payout Frequency}}$$

- o Thus, with the figures highlighted in the illustrative baseline, the total number of units to be redeemed per month will be as follows:

$$\text{Number of units per month} = \frac{8,00,000}{25 \times 12} = 2666.67 \text{ units per month}$$